सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 श्रावण, 1942 (श०)

संख्या- 369 राँची, शुक्रवार, 14 अगस्त, 2020 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त, 2020

संख्या-एल0जी0-24/2017-333/लेज0-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर माननीय राज्यपाल दिनांक-10/08/2020 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(झारखण्ड अध्यादेश संख्या- 04, 2020)

झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) में संशोधन हेतु अध्यादेश।

प्रस्तावना:- चूँकि, झारखण्ड राज्य की विधान-सभा सत्र में नहीं है, और चूँकि, झारखण्ड राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान है जिनके कारण झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (झारखण्ड अधिनियम 05, 2006) के कतिपय विद्यमान प्रावधानों मे संशोधन करने हेतु तुरंत कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है।

इसलिए अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश को प्रख्यापित करते है:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(1) यह अध्यादेश झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020 कहा जाएगा।

(2) यह पूरे झारखण्ड राज्य में लागू होगा।

(3) अन्यथा उपबंधित के सिवाय इस अध्यादेश के उपबंध उस तारीख को प्रवृत होंगे, जो झारखण्ड सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करेः

2. धारा 35 में संशोधन– धारा 35 की उपधारा (8) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

'परंतुक यह कि कर-निर्धारण वर्ष 2016–17 हेतु उप-धारा (6) के अन्तर्गत कर-निर्धारण 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकेगा।'

3. धारा 39 में संशोधन –धारा 39 की उपधारा (1) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

'परंतुक यह कि कर-निर्धारण वर्ष 2014–15 हेतु धारा 37 अथवा 38 के अन्तर्गत कर-निर्धारण 5 वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकेगा।'

4. धारा 40 में संशोधन - धारा 40 की उपधारा (4) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

'परंतुक यह कि कर-निर्धारण वर्ष 2014–15 या उसके कुछ भाग हेतु, धारा 40 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत कर-निर्धारण एवं पुनः कर-निर्धारण 5 वर्ष की समाप्ति के उपरांत भी दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकेगा।'

5. धारा 42 में संशोधन - (1) धारा 42 की उपधारा (1) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

'परंतुक यह कि सक्षम प्राधिकार उक्त न्याय-निर्णय या आदेश के अनुरूप, कर-निर्धारण एवं पुनः कर-निर्धारण दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक कर सकेगा जो दिनांक 31 मार्च, 2020 तक किया जाना था।'

(2) धारा 42 की उपधारा (2) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

'परंतुक यह कि जहां कोई न्यायालय या न्यायाधिकारण अपील या पुनरीक्षण में इस आशय का आदेश जारी करता है कि इस अधिनियम या केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन निर्धारित कर को इस अधिनियम के अधीन निर्धारित न करके किसी अन्य विधि या उपबंध के अधीन निर्धारित किया जाना चाहिए तो उस आदेश के परिणामस्वरूप अथवा आदेश में वर्णित निदेश या निष्कर्ष को लागू करने के लिए उस आवर्त या उसके किसी भाग का यथास्थिति कर निर्धारण अथवा पुनः कर निर्धारण अन्यथा लागू परिसीमन अवधि के होते हुए भी इस आदेश के जारी करने की तारीख जो 31 मार्च, 2020 तक की जानी थी, को दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक किया जा सकता है।'

6. धारा 79 में संशोधन - धारा 79 की उपधारा (7) में एक परंतुक निम्नवत् जोड़ा जाएगा:-

'परंतुक यह कि इस धारा के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पारित किए जाने वाले आदेष को दिनांक 31 अगस्त, 2020 तक पारित किया जा सकेगा।'

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,

प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी

विधि विभाग, झारखंड, राँची।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

13 अगस्त, 2020

संख्या-एल0जी0-24/2017-334/लेज0-- माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक-10/08/2020 को अनुमत **झारखण्ड मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अध्यादेश**, 2020 का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020

(Jharkhand Ordinance No. 04, 2020)

An Ordinance to amend Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006)

Preamble

Whereas the legislative Assembly of state of Jharkhand is not in session and, whereas the Governor of Jharkhand is satisfied that circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action to amend certain existing provisions in the Jharkhand Value Added Tax Act, 2005 (Jharkhand Act 05, 2006)

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of article 213 of Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. **Short title, extent and commencement –**
   (1) This Ordinance may be called the Jharkhand Value Added Tax (Amendment) Ordinance, 2020.
   (2) It shall extend to the whole of the State of Jharkhand.
   (3) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Amendment in section 35 :** In the sub- section (8) of the Section 35, a proviso shall be added in the following manner:-

   "Provided that for the assessment year 2016-17, the assessment under sub-section (6) shall be made until 31st August, 2020. "

3. **Amendment in Section 39:** In the sub- section (1) of the Section 39, after first proviso, a proviso shall be added in the following manner:-

   "Provided that for the assessment year 2014-15, the assessment under Section 37 or 38 can also be made after the expiry of five years till 31st August, 2020. "

4. **Amendment in Section 40:** In the sub- section (4) of the Section 40, a proviso shall be added in the following manner:-

"Provided that for the assessment year 2014-15 or part thereof, the assessment or re-assessment under sub-section (1) of Section 40 can also be made after the expiry of five years till 31st August, 2020. "

5. Amendment in Section 42 : In the sub- section (1) of the Section 42, a proviso shall be added in the following manner:-

"Provided that the prescribed authority may proceed to reassess the tax payable by the dealer in accordance with such judgment or order, which was to be reassessed until 31st March, 2020, till 31st August, 2020. "

In the sub- section (2) of the Section 42, a proviso shall be added in the following manner:-

"Provided that, where any Court or Tribunal passes an order in appeal or revision to the effect that any tax assessed under this Act or the Central Sales Tax Act, 1956 should have been assessed under the provision of a law other than that under which it was assessed, then in consequence of such order or to give effect to any finding or direction contained in such order such turnover and part thereof, may be assessed or reassessed, as the case may be, to a tax at which it was to be assessed or reassessed notwithstanding the applicable limitation period until 31st March, 2020, till 31st August, 2020."

6. Amendment in Section 79: In the sub- section (7) of the Section 79, a proviso shall be added in the following manner:-

"Provided that order under this section can be made, which was to be made until 31st March, 2020, till 31st August, 2020. "

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रदीप कुमार श्रीवास्तव,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 369 -- 50